अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2020(GCMS 2020/00041) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 94139–35077) (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/986585 बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी,श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2019 से ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का **अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न ग्यारह बिन्दु की सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 1.11.19 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र प्राप्ति से लेकर इस पत्र का (आवेदन का) जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
4. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या [illegible] अंकित तथ्य बीएलओ श्री सुभाष गोयल लोक सभा चुनाव 2014 में दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 11.04.2014 तक उप पंजीयक,श्रीगंगानगर के अधीन कार्य किया, इसकी सूचना व प्रमाणित प्रंति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. इसकी .... स्वयं श्री बीएलओ श्री सुभाष गोयल ने की है, इस बाबत सूचना व नियम की सूचना की प्रमाणित प्रति।
6. प्रार्थी के पत्रांक के बिन्दु संख्या 2 में अंकित तथ्य कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 03.06.2019 में यह अंकित किया है कि सुभाष गोयल को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक बैंक द्वारा दी गयी थी, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. श्री सुभाष गोयल, बी.एल.ओ. बैंकिंग सहायक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव ड्यूटी में श्रीगंगानगर में उपस्थित रहकर चुनाव कार्य का निष्पादन किया था। इस बाबत सूचना व सूचना की प्रतिलिपि।
8. बीएलओ श्री सुभाष गोयल चुनाव ड्यूटी लोकसभा चुनाव 2014 में बैंक द्वारा Deputation पर चुनाव विभाग मे जिस अवधि को Depute किये थे उसकी सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
9. बीएलओ श्री सुभाष गोयल, तत्कालीन बैंकिंग सहायक की माह अप्रैल 2014 की उपस्थिति पंजिका की सूचना व उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति।
10. दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल श्रीगंगानगर में उपस्थित रहकर चुनाव कार्यों का निष्पादन लोकसभा का किया व दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोडने व स्वीकृति लेने के आधार पर चुनाव आयोग व चुनाव अधिकारियों को धोखा देने के आधार पर लापरवाही, कर्तव्यहीनता व अनुशासनहीनता के आधार पर माननीय उच्चतम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2020

न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2000 Writ Petition No. 600/1993 Election commission of Indiaa V/s Union of India के निर्णयानुसार तुरंत प्रभाव से बी.एल.ओ. सुभाष गोयल व प्रबन्ध निदेशक श्री एम.आर. खन्ना तत्कालीन, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक को निलम्बित करने की सूचना व प्रमाणित प्रति।

11. प्रार्थी के उपरोक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना में लगने वाले समय की सूचना व कार्य की प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(26)आरटीआईनिर्वा/2019/1123 दिनांक 07.02.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

उक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आवेदनकर्त्ता श्री राधेश्याम गोयल के आवेदन दिनांक 11.11.2019 प्राप्ति दिनांक 15.11.2019 के संबंध में बिन्दुवार प्रयत्युत्तर निम्नानुसार है :

1. बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक एफ37(3)(26)(RTI)निर्वा/2019/13500 दिनांक 18.11.2019 के द्वारा आवेदक री राधेश्याम गोयल को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में कुल 2 पृष्ठ के शुल्क राशि 4/— रूपये का पोस्टल ऑर्डर जमा करवाने के लिए लिखा किन्तु आवेदन द्वारा शुल्क निर्धारित समयावधि में जमा न करवाने के के संबंध में आवेदन खारिज किया गया (प्रति संलग्न)।

2. बिन्दु संख्या 2, 3, 5 व 11 में चाही गई सूचना के संबध में इस कार्यालय के पत्रांक एफ37(3)(26)(RTI)निर्वा/2019/13501

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 18.11.2019 द्वारा आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (f, i, j) की परिभाष में कवर न होने के कारण अस्वीकार कर निस्तारित कर दिया गया। (प्रति संलग्न)

3. बिन्दु संख्या 4 के संबध में सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक एफ37(3)(26)(RTI) निर्वा/2019/13499 दिनांक 18.11.2019 आवेदन उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को अंतरित किया गया (प्रति संलग्न)

4. बिन्दु संख्या 6 के संबध में सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक एफ37(3)(26)(RTI) निर्वा/2019/13499 दिनांक 18.11.2019 द्वारा आवेदन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को अंतरित किया गया (प्रति संलग्न)

5. बिन्दु संख्या 7, 8, 9 व 10 के संबध में सूचना इस कार्यालय के पत्रांक एफ37(3)(26)(RTI) निर्वा/2019/13499 दिनांक 18.11. 2019 द्वारा दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 [illegible] 6(3) के तहत आवेदन अंतरित किया [illegible] सहकारी बैंक लि. श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 4006 दिनांक 03.12.2019 द्वारा अवगत करवाया कि बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एच के तहत लोक प्राधिकारी की परिभाषा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2020

में वर्गीकृत एवं उल्लेखित संस्थान नहीं है तथा इसी क्रम में प्रार्थना पत्रद भी पोषणीय नहीं है।

चूंकि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि अपील 26/2020 खारिज फरमाई जावे।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब दिया है तथा अपीलार्थी को भी अपने पत्रांक एफ37(3)(26)(RTI)निर्वा/2019/13501 दिनांक 18.11.2019 से सूचित किया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को साम[illegible] रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। साम[illegible] में कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलार्थी बिन्दु संख्या 1 की सूचना हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार राशि राजकोष में जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। बिन्दु संख्या 4 की सूचना उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से एवं बिन्दु संख्या 6 की सूचना उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से प्राप्त कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर, उप पंजीयक, श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। उप पंजीयक, श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमशः बिन्दु संख्या 4 व 6 की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उसे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:44 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर